



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936

No. 356]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015/MAGHA 24, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

**का.आ. 505(अ).**— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी.— 310.000 कि.मी. (पूर्णिमा फारबिसगंज—झंझारपुर—दरभंगा—मुजफ्फरपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी. से 287.860 कि.मी. तक के मुजफ्फरपुर—दरभंगा—पूर्णिमा सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क को उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा प्राधिकरण को प्राधिकृत किया है:

क्रम संख्या	खण्ड	निम्नलिखित द्वारा प्रकाशित शुल्क अधिसूचना
1.	0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक	का आ. 1327 (अ), तारीख 07.06.2011 जो का. आ. संख्या 896 (अ), तारीख 26.03.2014 के क्रम संख्या 18 द्वारा संशोधित की गई थी
2.	69.500 कि.मी. से 148.550 कि.मी. तक	का आ. 349 (अ), तारीख 29.02.2012 जो का. आ. संख्या 896 (अ), तारीख 26.03.2014 के क्रम संख्या 19 द्वारा संशोधित की गई थी
3.	नया चैनेज 148.550 कि.मी. से 208.650 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 145.646 कि.मी. से 230.000 कि.मी. तक)	का. आ. संख्या 2646 (अ), तारीख 15.10.2014
4.	230.790 कि.मी. से 310.000 कि.मी. तक	का आ. 696 (अ), तारीख 06.04.2011, जो का. आ. संख्या 896 (अ), तारीख 26.03.2014 के क्रम संख्या 21 द्वारा संशोधित की गई थी

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर बिहार राज्य में रा.रा. 57 के मुजफ्फरपुर-दरभंगा-पूर्णिया सेक्शन (0.000 कि.मी. से 148.550 कि.मी., 148.550 कि.मी. से 159.357 कि.मी. और 159.357 कि.मी. से 287.860 कि.मी. तक) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 21.03.2014 को प्रस्तुत की गई बोलियों के लिए मैसर्स एसएमएस-एएवीएस इंडिया टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3/3 साउथ टुकोगंज, निकट गोकुलदास हॉस्पिटल, इंदौर-452001, मध्यप्रदेश में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 08.09.2014 को करार किया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा जिन्हें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 1327 (अ) तारीख 07.06.2011, का. आ. 349 (अ), तारीख 29.02.2012, का.आ. 2646 (अ), तारीख 15.10.2014 और का. आ. 696 (अ), तारीख 06.04.2011, तारीख 26.03.2014 की शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ) क्रम संख्या 18,19 और 21 द्वारा यथा संशोधित, का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिग्रहण से पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि फिलहाल सड़क खण्ड के निवल लम्बाई 230.583 कि.मी. तथा 3.55 कि.मी. अधूरी लम्बाई के पूरा हो जाने के पश्चात्, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 234.133 कि.मी. {5.682 कि.मी. की संरचना को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है और समकक्ष लम्बाई 56.82 कि.मी. सहित) हेतु सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) तथा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी. से 287.860 कि.मी. तक के मुजफ्फरपुर-दरभंगा-पूर्णिया सेक्शन के 48.04 कि.मी. की लम्बाई वाले 08 बाइपासों के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 के 1.5 गुना की दर से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त खण्ड के उपयोग के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इनमें से जो भी बाद में हो, करार में यथा-विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

#### सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1.	26.200 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास	50.748 कि.मी. (मुजफ्फरपुर बाइपास की लम्बाई 9.900 कि.मी., दरभंगा बाइपास की लम्बाई 6.700 कि.मी. और बड़े पुलों की लम्बाई 2.15171 कि.मी. को छोड़कर)
2.	88.000 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (88.755 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास	51.96 कि.मी. (दरभंगा बाइपास की लम्बाई 2.600 कि.मी., तरसराई-मुरिया बाइपास की लम्बाई 5.850 कि.मी., मनिगाच्छी बाइपास की लम्बाई 3.500 कि.मी., सरसोपाही बाइपास की लम्बाई 3.760 कि.मी., झंझारपुर बाइपास की लम्बाई 10.680 तथा बड़े पुलों की लम्बाई 0.697 कि.मी. को छोड़कर)
3.	150.390 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (147.846 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) सुपौल जिले में असनपुर गांव के पास	45.273 कि.मी.* (बीओटी वार्षिकी सेक्शन की लम्बाई 8.932 कि.मी., और ओएमटी सेक्शन की लम्बाई 36.341 कि.मी. सहित) और (प्रतापगंज बाइपास की लम्बाई 2.60 कि.मी., बड़ी संरचनाओं की लम्बाई 0.475 कि.मी., आरओवी की लम्बाई 0.087 कि.मी. तथा कोसी पुल (बीओटी वार्षिकी सेक्शन) की लम्बाई 1.875 कि.मी. को छोड़कर)

		तथा अधूरी लम्बाई 1.150 कि.मी. सहित)
4.	244.860 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (267.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) अररिया जिले में हरियाबारा गांव के पास	86.152 कि.मी.* (फोरबिसगंज बाइपास की लम्बाई 2.45 कि.मी., बड़े पुलों की लम्बाई 0.225 कि.मी., आरओबी की लम्बाई 0.171 कि.मी. को छोड़कर तथा अधूरी लम्बाई 2.4 कि.मी. सहित)
	सड़क की कुल निवल लम्बाई	234.133 कि.मी.

\*अथवा पूरी कर ली गई एवं रियायतग्राही को सौंपी गई वास्तविक लम्बाई

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु, आधार दर के डेढ़ गुना की दर से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

क्रम संख्या	टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान चैनेज	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
1.	26.200 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास	मुजफ्फरपुर डिजाइन चैनेज 0.00 कि.मी. से 9.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 0.00 कि.मी. से 9.900 कि.मी. तक) दरभंगा डिजाइन चैनेज 62.800 कि.मी. से 72.100 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 62.045 कि.मी. से 71.345 कि.मी. तक)	9.90 6.70
2.	88.000 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (88.755 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास	दरभंगा डिजाइन चैनेज 62.800 कि.मी. से 72.100 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 62.045 कि.मी. से 71.345 कि.मी. तक)	2.60
		तरसराई-मुरिया डिजाइन चैनेज 73.800 कि.मी. से 79.650 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 73.045 कि.मी. से 78.895 कि.मी. तक)	5.85
		मनिगाच्छी डिजाइन चैनेज 84.800 कि.मी. से 88.300 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 84.045 कि.मी. से 87.545 कि.मी. तक)	3.50
		सरसोपाही डिजाइन चैनेज 90.200 कि.मी. से 93.960 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 89.445 कि.मी. से 93.205 कि.मी. तक)	3.76
		झंझारपुर डिजाइन चैनेज 96.580 कि.मी. से 107.260 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 95.825 कि.मी. से 106.505 कि.मी. तक)	10.68
3.	150.390 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (147.846 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) सुपौल जिले में असनपुर गांव के पास	प्रतापगंज डिजाइन चैनेज 184.260 कि.मी. से 186.860 (विद्यमान चैनेज 202.756 कि.मी. से 208.305 कि.मी. तक)	2.60
4.	244.860 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (267.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) अररिया जिले में हरियाबारा गांव के पास	फोरबिसगंज डिजाइन चैनेज 214.760 कि.मी. से 217.210 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 236.900 कि.मी. से 239.350 कि.मी. तक)	2.45
	बाइपास की कुल लम्बाई		48.04

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क स्थायी पुल (पुलों) और/अथवा संरचनाओं, जैसा भी मामला हो, जिनकी लम्बाई 60 मीटर अथवा अधिक है, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में) (आंकड़े 3 अंकों में पूर्णांकित)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर, जिसपर शुल्क संदेय हैं।
1.	26.200 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास	2.152	21.52	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	88.000 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (88.755 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास	0.697	6.97	
3.	150.390 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (147.846 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) सुपौल जिले में असनपुर गांव के पास	2.437	24.37	
4.	244.860 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (267.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) अररिया जिले में हरियाबारा गांव के पास	0.396	3.96	
	कुल	5.682	56.82	

60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नप्रकार है:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	संरचना की प्रकृति	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
1.	26.200 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास	बड़ा पुल (चैनेज 1.375)	0.061	0.610
		बड़ा पुल (चैनेज 3.800)	0.310	3.10
		बड़ा पुल (चैनेज 5.495)	.09150	0.915
		बड़ा पुल (चैनेज 28.285)	0.13229	1.3229
		बड़ा पुल (चैनेज 29.515)	0.09380	0.938
		बड़ा पुल (चैनेज 32.600)	0.08040	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 33.300)	0.08040	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 37.650)	0.12739	1.2739
		बड़ा पुल (चैनेज 40.250)	0.1032	1.032
		बड़ा पुल (चैनेज 41.260)	0.0804	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 42.758)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 43.204)	0.1042	1.042
		बड़ा पुल (चैनेज 45.404)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 50.000)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 54.876)	0.13908	1.3908
		बड़ा पुल (चैनेज 56.837)	0.0804	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 59.120)	0.0819	0.819
बड़ा पुल (चैनेज 64.400)	0.1551	1.551		
बड़ा पुल (चैनेज 66.987)	0.07755	0.7755		
बड़ा पुल (चैनेज 67.838)	0.07755	0.7755		
बड़ा पुल (चैनेज 68.825)	0.07755	0.7755		
	कुल		2.15171	21.5171
2.	88.000 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (88.755 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास	बड़ा पुल (चैनेज 94.730)	0.078	0.78
		बड़ा पुल (चैनेज 104.474)	0.240	2.40
		बड़ा पुल (चैनेज 135.350)	0.30720	3.072
		बड़ा पुल (चैनेज 144.680)	0.072	0.72

		कुल	0.6972	6.972
3.	150.390 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (147.846 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) सुपौल जिले में असनपुर गांव के पास	बड़ा पुल (चैनेज 180.536)	0.150	1.50
		बड़ा पुल (चैनेज 189.143)	0.100	1.00
		कोसी पुल (चैनेज 152.702)	1.875	18.75
		आर ओ बी (चैनेज 190.906)	0.087	0.87
		बड़ा पुल (चैनेज 192.133)	0.100	1.00
		बड़ा पुल (चैनेज 197.351)	0.125	1.25
		कुल	2.437	24.37
4.	244.860 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज (267.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज) अररिया जिले में हरियाबारा गांव के पास	बड़ा पुल (चैनेज 250.371)	0.07368	0.7368
		बड़ा पुल (चैनेज 280.819)	0.06747	0.6747
		बड़ा पुल (चैनेज 285.71)	0.08432	0.8432
		आर ओ बी (चैनेज 202.432)	0.081	0.81
		आर ओ बी (चैनेज 215.601)	0.090	0.90
		कुल	0.39647	3.9647

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014-15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. चालक अथवा मालिक अथवा ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन के प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और इसके तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा ओएमटी रियायतग्राही के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

11. 31.10.2014 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 3997.75 करोड़ रूपए (तीन हजार नौ सौ सतानवे करोड़ पचहत्तर लाख रूपए मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधनों के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार लागू दरों पर संग्रहीत किया जाएगा। पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को एनपीवी निकालने हेतु 12% प्रतिवर्ष की दर से छूट देते हुए की जाएगी। जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन से लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। रियायत शुल्क को भी देय राशि से घटाकर 40% कर दिया जाएगा तथा खण्ड 21.1.1 के अनुसार 10% की वार्षिक वृद्धि भी लागू होगी।

12. यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पहले कर दिया जाता है। आगे बढ़ा दिया जाता है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इसके बारे में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिनों के अन्दर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता शुल्क की दरों में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन, नियम 2011 के प्रारम्भ के तत्काल पहले लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी और आगे वार्षिक वृद्धि किसी भी हालत में इससे तत्काल पहले के वर्ष में लागू दरों के 25% से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/680/सीओ/14-15/जीसी मुजफ्फरपुर (0.000-287.860)ओएमटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2015

**S.O. 505 (E).**— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number S.O. 465 (E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 – Km 310.000 (Purnea-Forbesganj-Jhanjharpur-Darbhangha-Muzaffarpur Section) of National Highway number 57 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) ;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the government of India vide following notifications has authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of Muzaffarpur-Darbhangha-Purnea section from km 0.000 to km 287.860 of National Highway number 57 in the State of Bihar:

S. No.	Stretch	Fee notification published vide
1	km. 0.000 to km 69.500	S.O. 1327(E) dated 07.06.2011 amended vide Sl. No. 18 of S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014
2	Km 69.500 to km148.550	S.O. 349(E) dated 29.02.2012 amended vide Sl. No. 19 of S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014
3	New chainage Km 148.550 to km 208.650 (design chainage km.145.646 to km. 230.000)	S.O. No. 2646 (E) dated 15.10.2014
4	Km 230.790 to km 310.000	S.O. 696(E) dated 06.04.2011 amended vide Sl. No. 21 of S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014

And Whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 08.09.2014 with M/s SMS-AABS India Tollways Pvt. Ltd. having its registered office at 3/3, South Tukoganj, near Gokuldas Hospital, Indore-452001, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for bids submitted on 21.03.2014 for the Operation and Maintenance of Muzaffarpur-Darbhangha-Purnea section (from km 0.000 to km 148.550, km.148.550 to km 159.357 and km 159.357 to km 287.860) of NH-57 in the state of Bihar (hereinafter referred to as the “said section”) on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013 and G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 (hereinafter referred to as the “Rules”) and in supersession of the notifications number S.O. 1327(E) dated 07.06.2011, S.O. 349(E) dated 29.02.2012, S.O. 2646(E) dated 15.10.2014 and S.O. 696(E) dated 06.04.2011 as amended vide Sl. No. 18,19 & 21 of fee notification vide S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles, specified in Table 1 for net road section length of 230.583 km for the time being and 234.133 km net road section length after completion of

the incomplete 3.55 km length {excluding 5.682 Km of structure (having length more than 60m) with equivalent length of 56.82 km} (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and 08 bypasses having a length of 48.04 Km. for 1.5 times of Table-1 below for the use of Muzaffarpur-Darbhanga-Purnea section from km 0.000 to km 287.860 of National Highway number 57 in the State of Bihar and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

**TABLE**

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
1	At km 26.200, design chainage ( at Km. 26.200, existing chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur	50.748 Km (excluding 9.900 km length of Muzaffarpur Bypass , 6.700 km length of Darbhanga Bypass and 2.15171 km. length of Major Bridges, )
2	At km 88.000, design chainage (at Km. 88.755, existing chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga	51.96 Km (excluding 2.600 km length of Darbhanga Bypass, 5.850 km length of Tarsarai-Muria Bypass, 3.500 km length of Manigacchi bypass, 3.760 Km length of Sarasopahi bypass , 10.680 km length of Jhanjharpur bypass and 0.697 km length of Major Bridges )
3	At km 150.390, design chainage (at Km. 147.486, existing chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul	45.273 Km* (including 8.932 Km length of BOT Annuity Section & 36.341 km length of OMT Section) and (excluding 2.60 km length of Pratapganj Bypass , 0.475 Km length of Major Structures, 0.087 km length of ROB and 1.875 km length of Kosi Bridge (BOT Annuity Section) and including 1.150 km incomplete length)
4	At km 244.860, design chainage (at km. 267.000, existing chainage) near village Hariabara in Dist. Araria	86.152 Km* (excluding 2.45 Km length of Forbesgunj Bypass, 0.225 km. length of Major Bridges, 0.171 km. length of ROB and including 2.4 km incomplete length)
	Total net road length	234.133 km

\*or the actual length completed and handed over to the concessionaire.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plazas at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plazas:

S. No.	Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
1	At km 26.200, design chainage (at Km.26.200, existing chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur	Muzaffarpur Design Chainage km. 0.00 to Km. 9.900 (Existing chainage Km. 0.00 to Km. 9.900)	9.90
		Darbhanga Design Chainage km. 62.800 to Km. 72.100 (Existing chainage Km. 62.045 to km. 71.345)	6.70
2	At km 88.000, design chainage (at Km. 88.755, existing chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga	Darbhanga Design Chainage km. 62.800 to Km. 72.100 (Existing chainage Km. 62.045 to km. 71.345)	2.60
		Tarsarai-Muria Design Chainage km. 73.800 to Km. 79.650 (Existing chainage Km. 73.045 to km. 78.895)	5.85
		Manigacchi Design Chainage km. 84.800 to Km. 88.300 (Existing chainage Km. 84.045 to km. 87.545)	3.50
		Sarasopahi Design Chainage km. 90.200 to Km. 93.960 (Existing chainage Km. 89.445 to km. 93.205)	3.76
		Jhanjhapur Design Chainage km. 96.580 to Km. 107.260 (Existing chainage Km. 95.825 to km. 106.505)	10.68
3	At km 150.390, design chainage (at Km. 147.486, existing chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul	Pratapganj Design Chainage km. 184.260 to Km. 186.860 (Existing chainage Km. 202.756 to km. 208.305)	2.60
4	At km 244.860, design chainage (at km. 267.000, existing chainage) near village Hariabara in Dist. Araria	Forbesgunj Design Chainage km. 214.760 to Km. 217.210 (Existing chainage Km. 236.900 to km. 239.350)	2.45
	Total length of Bypasses		48.04

3. In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the permanent bridge (s) and /or Structures, as the case may be, having length of 60m or more as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza(s):

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length (Figures rounded to 3 digits)	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At km 26.200, design chainage (at Km. 26.200, existing chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur	2.152	21.52	100% of the base rates mentioned in Table 1 above
2	At km 88.000, design chainage (at Km. 88.755, existing chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga	0.697	6.97	
3.	At km 150.390, design chainage (at Km. 147.486, existing chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul	2.437	24.37	
4	At km 244.860, design chainage (at km. 267.000, existing chainage) near village Hariabara in Dist. Araria	0.396	3.96	
	Total	5.682	56.82	



Details of structures of length >60 m is as under:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Nature of Structure	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)
1.	At km 26.200, design chainage ( at Km. 26.200, existing chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur	Major Bridge (chainage 1.375)	0.061	0.610
		Major Bridge (chainage 3.800)	0.310	3.10
		Major Bridge (chainage 5.495)	.09150	0.915
		Major Bridge (chainage 28.285)	0.13229	1.3229
		Major Bridge (chainage 29.515)	0.09380	0.938
		Major Bridge (chainage 32.600)	0.08040	0.804
		Major Bridge (chainage 33.300)	0.08040	0.804
		Major Bridge (chainage 37.650)	0.12739	1.2739
		Major Bridge (chainage 40.250)	0.1032	1.032
		Major Bridge (chainage 41.260)	0.0804	0.804
		Major Bridge (chainage 42.758)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 43.204)	0.1042	1.042
		Major Bridge (chainage 45.404)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 50.000)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 54.876)	0.13908	1.3908
		Major Bridge (chainage 56.837)	0.0804	0.804
		Major Bridge (chainage 59.120)	0.0819	0.819
		Major Bridge (chainage 64.400)	0.1551	1.551
		Major Bridge (chainage 66.987)	0.07755	0.7755
		Major Bridge (chainage 67.838)	0.07755	0.7755
Major Bridge (chainage 68.825)	0.07755	0.7755		
		<b>Total</b>	<b>2.15171</b>	<b>21.5171</b>
2	At km 88.000, design chainage (at Km. 88.755,existing chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga	Major Bridge (chainage 94.730)	0.078	0.78
		Major Bridge (chainage 104.474)	0.240	2.40
		Major Bridge (chainage 135.350)	0.30720	3.072
		Major Bridge (chainage 144.680)	0.072	0.72
				<b>Total</b>

3.	At km 150.390, design chainage (at Km. 147.486, existing chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul	Major Bridge (chainage 180.536)	0.150	1.50
		Major Bridge (chainage 189.143)	0.100	1.00
		Koshi Bridge (chainage 152.702)	1.875	18.75
		ROB (chainage 190.906)	0.087	0.87
		Major Bridge (chainage 192.133)	0.100	1.00
		Major Bridge (chainage 197.351)	0.125	1.25
		Total	2.437	24.37
4	At km 244.860, design chainage (at km. 267.000, existing chainage) near village Hariabara in Dist. Araria	Major Bridge (chainage 250.371)	0.07368	0.7368
		Major Bridge (chainage 280.819)	0.06747	0.6747
		Major Bridge (chainage 285.71)	0.08432	0.8432
		ROB (chainage 202.432)	0.081	0.81
		ROB (chainage 215.601)	0.090	0.90
		Total	0.39647	3.9647

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Twenty-five only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.
10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised and got published annually through the OMT Concessionaire in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from preceding revision of fee.

11. The Present Value of Capital Cost of the project to be recovered from the date of COD is Rs. 3997.75 Crores (Rupees Three Thousand Nine Hundred Ninety-seven Crore and Seventy-five Lac Only) as on 31.10.2014. From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. The Capital Cost shall be recovered through Concession Fee by discounting @ 12% per annum to arrive at NPV as on the date of commercial operation (COD). After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of the rate being charged. The Concession Fee shall also be reduced to 40% of the amount payable and annual increment of 10% as per Clause 21.1.1 shall be applicable.
12. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed, the capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.
13. User fee rates shall not be increased after the commencement of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five percent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than 25% of the rate applicable in the immediately preceding year.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/14-15/GC Muzaffarpur (0.000-287.860) OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.